मध्यप्रदेश शासन
वन विभाग
मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल

क्रमांक एफ 5/11/06/10–3 भोपाल,दिनांकः 1 दिसम्बर, 2007

प्रति
समस्त वनमण्डलाधिकारी क्षेत्रीय
म0प्र0

विषयः वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत गैर वानिकी उपयोग में वन भूमि के व्यपवर्तन के अधिकार सौंपने विषयक।

संदर्भः म0प्र0शासन वन विभाग का ज्ञाप क्रमांक एफ 5/2/2006/10–3 दिनांक 29 अगस्त 2006, म0प्र0 शासन वन विभाग का ज्ञाप क्रमांक एफ 5/11/06/10–3 दिनांक 19 अप्रैल,06 तथा प्रधान मुख्य वन संरक्षक म0प्र0 का ज्ञाप क्रमांक एफ 5/07/10–11/2282 दिनांक 06.10.2007

उपरोक्त विषय पर संदर्भित आदेश के द्वारा राज्य शासन ने 1 हेक्टेयर से कम भूमि के व्यपवर्तन के अधिकार निम्न कार्यो के लिये क्षेत्रीय वन मण्डलाधिकारियों को प्रत्यायोजित किये हैः–

1.1 स्कूल,
1.2 चिकित्सालय/अस्पताल
1.3 विघुत एवं संचार लाईन
1.4 पीने के पानी की व्यवस्था
1.5 वाटर/रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर
1.6 छोटी सिंचाई नहरें
1.7 गैर पारम्परिक उर्जा स्त्रोत
1.8 कुशलता उन्नयन/व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र
1.9 विघुत सब स्टेशन
1.10 संचार पोस्ट
1.11 गृह मंत्रालय, भारत शासन द्वारा चिन्हांकित संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस स्थापना जैसे कि पुलिस स्टेशन/आउटपोस्टं/वाच टावर इत्यादि

संरक्षक (भू-प्रबंध)
प्रदेश, भोपाल

2/ उपरोक्त प्रकरणों में स्वीकृतियां जिन शर्तो पर दी जायेगी उसका भी उल्लेख ज्ञाप दिनांक 29/8/06 में किया गया है। प्रधान् मुख्य वन संरक्षक म0प्र0 के संदर्भित ज्ञाप के द्वारा प्रत्यायोजित अधिकार के उपयोग की समय सीमा बढा दी गयी है।

3/ राज्य शासन की जानकारी में यह तथ्य आया है कि ग्राम पंचायतों के द्वारा जो कार्य वन ग्रामों अथवा अन्य ग्रामों में संपादित किये जा रहे है, उनमें यदि वन भूमि की आवश्यकता पडती है तो उनकी स्वीकृति प्राप्त करने में वन मण्डल कार्यालय से दूरस्थ होने के कारण कठिनाईयां आ रही है।

4/ अतः राज्य शासन ने एतद द्वारा यह निर्णय लिया है कि ग्राम पंचायत यदि पैरा–1 में उल्लेखित कार्यो के लिये 1 हेक्टेयर से कम वनभूमि के व्यपवर्तन की स्वीकृतियां प्राप्त करना चाहे तो अपना आवेदन

4409
10/12

7/12
CCF (LM)

क्षेत्रीय वन परिक्षेत्राधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत कर सकेंगे। परिक्षेत्राधिकारी का यह दायित्व होगा कि प्राप्त आवेदन प्राप्ति दिनांक से 7 दिवस के अन्दर वन मण्डल कार्यालय में निश्चित रुप से पहुंचाये। इन प्रकरणों का पंजीयन वन मण्डल स्तर पर ही किया जायेगा।

5/ राज्य शासन ने यह भी निर्णय लिया है कि ऐसे प्राप्त प्रकरणों का निराकरण वनमण्डल कार्यालय में आवेदन प्राप्त दिनांक से एक माह की समय सीमा में निश्चित रुप से कर दिया जायेगा

6/ कृपया इन आदेशों की प्रति अपने अधीनस्थ समस्त परिक्षेत्राधिकारियों को तत्काल उपलब्ध कराये।

(रतन पुरवार)
सचिव
म0प्र0शासन वन विभाग

पृ0कमांक एफ 5/11/06/10–3 भोपाल,दिनांकः 01 दिसम्बर, 2007

प्रतिलिपि–

1 अपर मुख्य सचिव, म0प्र0शासन पंचायत एवं ग्रमीण विकास विभाग
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक म0प्र0
3 समस्त क्षेत्रीय वन संरक्षक म0प्र0
4 समस्त जिलाध्यक्ष म0प्र0

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सचिव
म0प्र0शासन वन विभाग